राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान का घोषणा पत्र

राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान
घोषणा पत्र (नई दिल्ली–1982)
संगठन और नियम

1–संस्था का नाम राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान होगा।

2–संस्था का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगा। यह अ.भा.आ.वि.सं., अंसारी नगर, नई दिल्ली के जैवरसायन विभाग (वर्तमान में यह अरूणा आसफ अली मार्ग, जे.एन.यू. परिसर, नई दिल्ली–110067 में स्थानांतरित कर दिया गया है।) में स्थित है।

3–राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्यः–

(क) प्राथमिक और प्रायोगिक प्रतिरक्षाविज्ञान के क्षेत्र में सहायता करना, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन और उच्च क्षमता के शोधकार्य में सामंजस्य स्थापित करना।

(ख) देश में प्रतिरक्षा टीका व अन्य संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थाओं/प्रयोगशालाओं तथा अन्य संगठनों के बीच प्रभावी रूप से लगातार संपर्क स्थापित करना।

(ग) प्रतिरक्षाविज्ञान, टीकों के विकास से संबद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करना, कार्यशाला, सम्मेलन, संगोष्ठी और विशेष प्रकृति के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(घ) प्रतिरक्षावैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों से तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(च) देश में प्रतिरक्षाविज्ञान के लिए राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र रूप में कार्य करना और औषधीय व पशु चिकित्सा संस्थाओं, जन स्वास्थ्य संगठनों एवं उद्योगों के परामर्श दाता के रूप में कार्य करना।

(छ) नए टीकों और आसाध्य रोगों के प्रतिरक्षाविज्ञानी अभिकर्मकों के विकास के लिए शोध करना। इसके साथ ही सामान्य रूप में उपलब्ध कम प्रतिरक्षाविज्ञानी गणों के टीकों का विकास करना।

(ज) पुरुष और महिला प्रजनन शक्ति को नियंत्रित और बढ़ाने के लिए प्रतिरक्षाविज्ञानी दृष्टिकोण का विकास करना।

(झ) टीकों और प्रतिरक्षाविज्ञानी अभिकर्मकों के निर्माण/बनाने के लिए उद्योगों से बातचीत करना।

(ट) प्रतिरक्षाविज्ञान, टीकों और इनसे संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी शोधों के लिए प्रभावी अभियोजन हेतु कार्यशालायें, प्रयोगशालायें,

भंडारगृह और अन्य सुविधाओं को स्थापित करना, रख–रखाव तथा प्रबंधन करना।

(ठ) संस्थान के उद्देश्यों से समानता रखने वाले विदेशी शोध संस्थानों, प्रयोगशालाओं और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग रखना।

(ड) शोध के परिणामों को प्रकाशित और प्रसारित करना।

(ढ) प्राध्यापिकता, अन्य संकाय, अध्येतावृत्ति, शोध संवर्ग तथा छात्रवृत्ति आदि संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित करना।

(त) शोध छात्रों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से संबद्धता स्थापित करना।

(थ) भारत सरकार, राज्य सरकारों, न्यासी संस्थाओं, ट्रस्ट व्यक्तिगत तौर पर किसी से और देश के औद्योगिक संस्थानों से नकद या अन्य किसी रूप में अनुदान सहायता प्राप्त करना।

(द) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित विदेशी स्रोतों से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

(ध) संस्थान की गतिविधियों को आसानी से चलाने के लिए उपहार स्वरूप, खरीद, अदला–बदली, पट्टे, भाड़े पर या अन्य किसी माध्यम से जैसे कि स्थाई या अस्थाई संपत्ति के निर्माण, विकास, तबदीली, ध्वस्त करने या भवनों के ढांचों की मरम्मत जो आवश्यक हो।

(न) संस्थान के उद्देश्यों के लिए भारत सरकार से आहरित व स्वीकार करना तथा बनाने व समर्थन करने, छूट और बातचीत करने तथा अन्य वचन पत्र विनिमय, चेक या अन्य परक्राम्य लिखित कार्य करना।

(प) संस्थान को सौंपे गये फण्ड या धन का निवेश करना, शासी निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गयी विधि से ऐसी प्रतिभूतियां निवेश और बेचना या ऐसे निवेश को स्थानांतरित करना।

(फ) संस्थान के उद्देश्यों के लिए वह सब कुछ करना जो जरूरी, प्रासंगिक और संचालन योग्य हो, और

(ब) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित प्रतिरक्षाविज्ञान, वर्तमान आई.सी.एम.आर–डब्ल्यू.एच.ओ. के शोध और प्रशिक्षण केंद्र का प्रभार इसके मौजूदा वैज्ञानिक एवं शोध गतिविधियों और शोध सुविधाओं के साथ ग्रहण करना।

4– संस्थान का शासी निकाय वह निकाय होगी जो नियमानुसार शासी निकाय का गठन करेगा। शासी निकाय के पहले सदस्यों की सूची इस प्रकार है :–

	नम	पता	व्यवसाय	पद
1.	प्रो. एम. जी. के. मेनन	8/लोदी एस्टेट, नई दिल्ली	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद	अध्यक्ष
2.	प्रो. वी. रामालिंगास्वामी	3, तुगलक लेन, नई दिल्ली	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	सदस्य
3.	डॉ. ओ. पी. गौतम	सी–II/24, मोती बाग, नई दिल्ली	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
4.	डॉ. नित्यानंद	छात्र मंजिल लखनऊ	निदेशक, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान	सदस्य
5.	डॉ. एच.डी. टण्डन	सी–I/19 अंसारी नगर नई दिल्ली	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	सदस्य
6.	डॉ. के.जे. महाले	परिसर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	उप कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	सदस्य
7.	श्री पी.के. रामानुजम	ई–7, 3/एसXIII, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली	वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और तकनीकी विभाग	सदस्य
8.	श्री कृपा नारायण	19, तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भारत सरकार	सदस्य
9.	डॉ. एस. वरदराजन	भारतीय पेट्रा रसायन बड़ौदा	अध्यक्ष, इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लि.	सदस्य
10	डॉ. बी. रामचंद्र राव	7/1–ए, डीडीए फ्लैट्स भगवान दास रोड, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
11	डॉ. एस. रामचंद्रन	कोलकाता	मुख्य कार्यपालक बंगाल इम्युनिटी	सदस्य

12	प्रो. जी.पी. तलवार	सी1/8 अंसारी नगर नई दिल्ली	जवाहर लाल नेहरू फेलो, प्रोफेसर जैव रसायन अ.भा.आयु. वि. संस्थान एवं अध्यक्ष आई.सी.एम. आर.–डब्ल्यूएचओ शोध और प्रशिक्षण केंद्र, प्रतिरक्षाविज्ञान	सचिव

5– हम सभी लोग, जिनके नाम और पते यहां दिए गए हैं, संस्थान के घोषणा पत्र में वर्णित उद्देश्यों के लिए अपना समर्थन देंगे और संस्थान के पंजीकृत अधिनियम (अधिनियम XXI-1860) के तहत अपना अधिकतम सहयोग संस्थान को देंगे, यह 24 जून, 1981

	नम	व्यवसाय व पता	हस्ताक्षर
1.	डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन	सदस्य (विज्ञान) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	
2.	डॉ. एम. जी. के. मेनन	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और महानिदेशक सीएसआईआर, प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली	
3.	डॉ. वी. रामलिंगास्वामी	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	
4.	डॉ. ओ.पी गौतम	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	
5.	डॉ. एच. पी. टण्डन	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
6.	डॉ. सी.एन. आर. राव	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	
7.	प्रो. कृष्णास्वामी	संयोजक एवं अध्यक्ष स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई	
8.	डॉ. देवेंद्र लाल	निदेशक, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	
9.	डॉ. जी. पी. तलवार	जवाहर लाल नेहरू फेलो, प्रोफेसर, जैवरसायन तथा हेड, आई.सी.एम.आर. डब्ल्यू.एच.ओ. एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रतिरक्षाविज्ञान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	
10.	डॉ. मंजू शर्मा	प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, नई दिल्ली।	

राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान के नियम

संक्षिप्त नाम

1. इन नियमों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान का नियम कहा जाएगा।

व्याख्या

2. इन नियमों में निम्नलिखित शब्दों और संक्षिप्त रूपों के अर्थ बताए गए हैं, जब कि विषय या संदर्भ में कुछ भी विपरीत नहीं होता है।

(क) 'संस्थान' का अर्थ राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान होगा।

(ख) 'संस्था' का अर्थ राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान होगा।

(ग) 'केंद्र सरकार' से आशय भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय होगा।

(घ) 'शासी निकाय' का अर्थ संस्थान के शासी निकाय/सामान्य सभा से होगा।

(च) 'अध्यक्ष' का अर्थ इन नियमों में उल्लिखित अध्यक्ष से होगा।

(छ) 'सभापति' का अर्थ संस्थान के शासी निकाय के सभापति से होगा।

(ज) 'निदेशक' का अर्थ नियमानुसार नियुक्त इस संस्थान के निदेशक से होगा।

(झ) 'सचिव' का अर्थ संस्था के नियम के अनुसार नियुक्त संस्थान के सचिव से होगा।

ऐसे शब्द जिन्हें एकवचन में लिये शब्दों को बहुवचन और विलोमतः समाविष्ट किया जाएगा। शब्द जिन्हें पुलिंग में लिया गया है उन्हें स्त्रीलिंग में भी शामिल माना जाएगा।

संस्थान के सदस्य

3- इन नियमों के अनुच्छेद 23 के अनुसार स्थापित संस्थान की शासी निकाय के सभी सदस्य शामिल होंगे। कुछ अन्य सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होंगे।

4- संस्थान सदस्यों की एक सूची रखेगा जिसमें उनके पते और व्यवसाय लिखे होंगे और हरेक सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

5- संस्थान इसके निकाय में कोई पद रिक्त रहते हुए भी अपना कार्य करता रहेगा। संस्थान की कार्रवाईयां ऐसी रिक्ति या किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई दोष होने की वजह से अमान्य नहीं होंगी।

संस्थान के प्राधिकारी और उत्तराधिकारी

6-संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी और प्राधिकारी होंगे :-

(I) शासी निकाय/सामान्य नियम

(II) निदेशक और

(III) ऐसे अन्य अधिकारी और प्राधिकारी जिनकी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा हुई है।

7- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री या उसका प्रतिनिधि संस्थान का अध्यक्ष होगा, यदि वह पद स्वीकार करता है या शासी निकाय का सभापति संस्थान का अध्यक्ष होगा और प्रो. एम.जी.के. मेनन, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शासी निकाय के सभापति होंगे।

8-संस्थान का निदेशक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होगा, और उसकी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा की जाएगी। वह संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा। संस्थान के नियमों एवं उप नियमों के अनुसार जब तक पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त नहीं होता है, शासी निकाय किसी विशिष्ट वैज्ञानिक को अवैतनिक निदेशक नियुक्त कर सकता है और जिस व्यक्ति की नियुक्ति होगी वह इन नियमों के अनुसार निदेशक की पूरी शक्तियों, कार्यभार और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करेगा।

9. संस्था अपना कार्यालय, प्रयोगशालायें तथा कार्यशालायें स्थापित करेगा। संस्थान के विभिन्न पदों पर नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस उद्देश्य से बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

संस्था की कार्यवाही

10. संस्था की वार्षिक आम बैठक अध्यक्ष द्वारा नियत समय, तिथि और स्थान पर होगी। आम बैठक में शासी निकाय संस्था की वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

11. अध्यक्ष जब भी सही समझता है विशेष आम बैठक बुला सकता है।

12. संस्था के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष विशेष आम बैठक बुला सकता है।

13. संस्था के सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने के लिए किये गये किसी भी प्रस्ताव में उद्देश्य स्पष्ट होगा और सचिव के पते पर भेजा जाएगा।

14. सभी विशेष साधारण बैठकों में अधिसूचना में उल्लिखित विषयों के अलावा कोई अन्य विषय पर चर्चा नहीं होगी, यदि किसी मामले को अध्यक्ष चर्चा के लिए अधिकृत करते हैं तो उसे बैठक में शामिल किया जाएगा।

15. इन नियमों में दी गयी व्यवस्था के सिवाय, संस्थान की बैठकें सचिव या अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना पर बुलाई जाएंगी।

16. बैठक बुलाए जाने की अधिसूचना में तिथि, समय और स्थान जहां बैठक होगी दर्शाया जाएगा। इसकी सूचना सभी सदस्यों को बैठक से कम से कम 15 दिन पहले दी जानी चाहिए।

17. किसी सदस्दय को प्रासंगिक कारण से अधिसूचना की जानकारी न मिल पाने या अधिसूचना न मिलने के कारण बैठक की कार्यवाही रद्द नहीं की जाएगी।

18. संस्था की सभी बैठकों की अध्यक्षता संस्था का अध्यक्ष करेगा। यदि वह किसी बैठक में उपस्थित नहीं है या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता शासी निकाय का सभापति करेगा। यदि सभापति भी उपस्थित नहीं है, तब सदस्यों के बीच से अध्यक्ष चुना जाएगा जो बैठक की अध्यक्षता करेगा।

19. सभापति के चयन के सिवाय बैठक में तब तक किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, जब तक कि अध्यक्ष की कुर्सी खाली रहती है।

20. संस्था की प्रत्येक बैठक में गणपूर्ति के लिए सात सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।

21. संस्था की बैठक में सभी विवादित मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत मतों से निर्णय लिया जाएगा।

22. संस्था के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। विलोमतः मतों की बराबरी

शासी निकाय

23. संस्था के कार्यों का प्रबंधन, प्रशासन, संस्था के नियम, सीधा नियंत्रण कानून और आदेशों के अनुसार शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। 1860 अधिनियम XXI के तहत शासी निकाय का गठन इस प्रकार होगा :–

क. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

ख. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तीन प्रतिनिधि

ग. वित्त सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) भारत सरकार

घ. महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) (पदेन)

च. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) (पदेन)

(छ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (पदेन)

ज) उप कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (पदेन)

झ) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा नामित किए जाएंगे।

ट) संस्थान के निदेशक

24- शासी निकाय से किसी सदस्य की सदस्यता नियम 25 और नियम 27 के उपबन्धों में निहित प्रावधानों के अलावा सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 3 साल पूरा होने पर त्यागपत्र देकर समाप्त की जाएगी। लेकिन वह पुनः नियुक्ति के योग्य भी होगा। शासी निकाय में आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में जिस व्यक्ति की नियुक्ति होगी, वह कार्यकाल पूरा होने तक या पद हेतु नियमित सदस्य के आने तक काम काज देखेगा।

25- निम्नलिखित तरह की कोई घटना होने पर किसी सदस्य की सदस्यता शासी निकाय से समाप्त हो जाएगी-

क) त्यागपत्र देने, दिमागी तौर पर अस्वस्थ होने, दिवालिया होने प, नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले में दोषी पाये जाने पर या उसके नियोक्ता द्वारा शासी निकाय का सदस्य होने की अनुमति न देने अथवा उसके द्वारा लगातार एक साल से अधिक समय तक देश से बाहर रहने पर।

(ख) यदि वह शासी निकाय की तीन लगातार बैठकों में शामिल नहीं होता।

26- जब भी कोई सदस्य शासी निकाय की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे इस संबंध में एक पत्र अपने पद त्याग का उल्लेख करते हुए सचिव को देना होगा, परन्तु अध्यक्ष द्वारा की स्वीकृति के बाद ही उसका त्याग पत्र प्रभावी माना होगा।

27- जब कोई व्यक्ति शासी निकाय की सदस्यता का पदभार ग्रहण एक कार्यालय में करता है तो उसकी सदस्यता कार्यालय से और इसके परिणाम स्वरूप हुई रिक्ति उस कार्यालय में पदस्थ उसके उत्तराधिकारी द्वारा भरी जाएगी।

28. संस्थान के पूर्ण कालिक निदेशक के अलावा शासी निकाय के सदस्य संस्था से किसी पुरस्कार पाने का हकदार नहीं होंगे। शासी निकाय के अशासकीय सदस्य या इसके द्वारा बनाई गई कोई समिति को कोई अदायगी जैसा यात्रा या दैनिक भत्ता संस्था द्वारा नियमानुसार दिया जाएगा।

29. शासी निकाय का पदेन सदस्य व्यक्तिगत रूप से शासी निकाय की बैठकों में शामिल होगा लेकिन विशेष स्थिति में यदि वह बैठक में न जा पाए तो उसे बैठक में अपने स्थान पर विशेष बैठकों में कार्य के लिए प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार होगा। नामित प्रतिनिधि बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का हकदार होगा लेकिन उसे बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

शासी निकाय के अधिकार और कार्य

30. शासी निकाय सामान्यतः संस्था के उद्देश्यों को प्रस्तुत करेगी जैसा कि संस्था के ज्ञापन में कहा गया है। संस्था के सभी मामलों का प्रबंधन और वित्त का नियोजन शासी निकाय के कार्य में निहित होगा।

31. शासी निकाय संस्था की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी। फिर भी समय-समय पर भारत सरकार की ओर से उस पर कुछ सीमाएं बनाई जाएंगी जैसे संस्था के धन के खर्च और भारत सरकार से मिले अनुदान के बारे में।

32. शासी निकाय बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्व में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इन नियमों और उप नियमोंके को विहित करेगाः-

(क) वार्षिक और पूरक बजट को समय-समय पर निदेशक के सामने प्रस्तुत किए जाने से पूर्व स्वीकृत करना और उसे शासी निकाय की अपेक्षा के अनुरूप परिष्कृत करना।

(ख) पदों का सृजन एवं समापन।

(ग) विभिन्न वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और उनके कार्य को स्पष्ट करना।

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों, देश के किसी नागरिक से संस्था के लिए अनुदान सहायता राशि की व्यवस्था करना। इसी तरह विदेशी संस्था या अंतरराष्ट्रीय संगठन से अनुदान भारत सरकार की पूर्वानुमति से प्राप्त किया जाएगा।

(च) भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्था, निजी संस्था, किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से संस्था के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अचल संपत्ति, वृत्तिदान या अन्य तरह की राशि का प्रभार ग्रहण करना जो संस्था

के उद्देश्यों से असंगत न हो। विदेशी या अंतरराष्ट्रीय संस्था या संगठन से इस तरह की कोई भी प्राप्ति भारत सरकार की पूर्वानुमति से होगी।

(छ) समितियों और उप समितियों का निर्धारित उद्देश्यों, निर्धारित शक्तियों, समय, शर्तों के साथ गठन करना और उन्हें भंग करना।

(ज) प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां ऐसे प्रतिनिधि को सौंपना जिसे सभापति, निदेशक और संस्था के अन्य अधिकारी जरूरी समझें।

(झ) संस्था के मामलों खास तौर पर निम्नलिखित मामलों में संस्था के नियमानुसार प्रशासन और प्रबंधन के लिए नियम लागू करना–

(अ) बजट का आंकलन, तैयारी और संस्तुति, व्यय की संस्तुति, अनुबंधों का निष्पादन, संस्था के निधि का निवेश, बिक्री या बदलाव करना। ऐसे निवेश और खातों का अनुरक्षण और लेखा परीक्षा।

(ब) संस्थान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और स्थापन,

(स) नियुक्ति की निबंधन और शर्तें, अध्येतावृत्ति और शोध सहायता वृत्ति, योजनाओं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन जो कि संस्था के उद्देश्यों से असंगत न हों।

(य) ऐसे मामले जो संस्था के प्रशासनिक मामलों और निधि के लिए जरूरी हों।

शासी निकाय की कार्यवाही

33. शासी निकाय की प्रत्येक बैठक सभापति की अध्यक्षता में होगी, उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों के बीच से एक सदस्य का चुनाव इस मौके पर अध्यक्षता करने के लिए होगा।

34. शासी निकाय की किसी भी बैठक में पांच सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे, जो कि गणपूर्ति के लिए जरूरी है।

35. शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को कम से कम 15 दिन पहले बैठक की जानकारी दी जानी चाहिए। किसी सदस्य द्वारा आकस्मिक रूप से बैठक में न आने या बैठक की सूचना स्वीकार न करने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

36. साल की प्रत्येक तिमाही में शासी निकाय की एक बैठक होनी चाहिए।

37. पिछले नियम की कार्यवाही के लिए वार्षिक कैलेंडर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त समझा जाना चाहिए।

38. सभापति स्वयं बैठक बुला सकता है या उसकी लिखित मांग पर सचिव बैठक बुला सकता है। किसी भी समय ऐसी किसी मांग पर बैठक बुलाया जा सकता है।

39. शासी निकाय के चार सदस्य लिखित रूप से सचिव को बैठक बुलाने के लिए मांग पत्र दे सकते हैं। ऐसे मांग पत्र के आने पर सचिव सभापति की सलाह से बैठक बुला सकता है।

40. शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, यदि किसी मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सभापति का मत निर्धारक होगा।

41. शासी निकाय की कार्यवाही के लिए जरूरी कोई भी प्रस्ताव लिखित रूप से पहले सभी सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव जो सभी सदस्यों को दिया गया है उनके बहुमत के हस्ताक्षर के बाद ही प्रभावी होगा और वह प्रस्ताव जिसे कम से कम पांच सदस्यों की बैठक में पास किया गया है, शासी निकाय की संस्तुति के लिए रखा जाएगा।

42. ऐसे स्थिति में जब किसी सवाल पर शासी निकाय के सदस्यों में मतभेद हो तो बहुमत का विचार प्रभावी होगा। सभापति ऐसे किसी सवाल जिसे वह अपने विचार में भारत सरकार के फैसले के तहत पर्याप्त महत्वपूर्ण समझे सलाह ले सकता है। भारत सरकार का फैसला संस्था और इसके शासी निकाय के लिए बाध्यकारी होगा।

सभापति के कार्य और शक्तियां

43. सभापति संस्था की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संस्था संचालन के उद्देश्य से शासी निकाय द्वारा उसे प्रदान की गई हैं।

44. सभापति अपनी उन शक्तियों को जिन्हें वह जरूरी समझता है लिखित रूप से निदेशक को सौंप सकता है।

निदेशक के कार्य और शक्तियां

45. ऐसे कोई विषय जो कि सभापति द्वारा शासी निकाय से प्रदत्त शक्तियों के तहत पारित किया गया है और उसके फैसलों की उचित प्रकार से प्रशासनिक संचालन के लिए निदेशक उत्तरदायी होगा। शासी निकाय के निर्देशन और मार्गदर्शन में वह संस्था के मामलों और निधि का संचालन करेगा। वह संस्था की ऐसी कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों से सम्पन्न होगा जो कि नियमतः उद्देश्यों के लिए जरूरी होंगी।

46. वह इन नियमों और कानून में दिए गए व्यवस्था के अनुसार और शासी निकाय व सभापति के फैसलों के अनुसार कार्य करेगा, वह संस्था के

अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा और उनकी जिम्मेदारियां व कार्य निश्चित करेगा।

47. निदेशक संस्था के सभी कार्यों का देख रेख और समन्वय का कार्य करेगा।

48. संस्थान का निदेशक संस्था का सचिव होगा। संस्थाओं के पंजीकरण अनुच्छेद (1860 के 21) के अनुच्छेद 6 के निर्धारण के आधार पर सचिव संस्था का प्रधान सचिव समझा जाएगा और संस्था इसके सचिव के नाम से चलेगा।

संस्था की निधि

49. संस्था की निधि निम्नलिखित तरह में होगी।

अ) भारत सरकार से एक मुश्त या आवर्ती में मिलने वाली धनराशि।

ब) संस्थान द्वारा लिया गया शुल्क व अन्य प्रभार।

स) सभी राशियां जो संस्था द्वारा अनुदान, उपहार, वृत्तिदान या किसी अन्य योगदान से मिली हों।

50. संस्था की सभी निधियों की अदायगी संस्था के खाते से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाओं और इसकी सहायक बैंकों और अनुसूचित, राष्ट्रीकृत बैंक से होगा और कोई भी आहरण केवल ऐसे अधिकारियों के हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर से होगा जिन्हें सभापति ने अधिकृत किया हो।

51. संस्था की आय और संपत्ति जो भी निकाला जाएगा, उसे संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने व उसके प्रोत्साहन में जैसा कि संगठन के घोषणा पत्र में उल्लिखित है, उपयोग होगा। निधि के खर्च के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किए गए सीमाओं का पालन होगा। संस्थान की आय और संपत्ति का कोई भी भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्कन्ध से प्राप्त लाभ के रूप में अधिलाभांश या अन्य किसी प्रकार से लाभ के रूप में संस्था के सदस्य या किसी समय सदस्य रहे व्यक्ति को देय नहीं दी जाएगी।

लेखा और लेखा परीक्षण

52. संस्था के खातों का लेखा जोखा परीक्षण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे। लेखा परीक्षण की प्रकृति और उसकी व्यवस्था और लेखा परीक्षण के लिए खातों

की प्रस्तुति शासी निकाय द्वारा बनाए गए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के तहत निश्चित होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

53. संस्था की कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट और साल भर के भीतर किए गए कार्यों की रिपोर्ट शासी निकाय द्वारा तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट और लेखा परीक्षण किए हुए खातों को लेखा परीक्षक के रिपोर्ट के साथ संस्था की वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

नियमों में बदलाव

54. संस्था के नियमों में बदलाव शासी निकाय की संस्तुति पर संस्था के सदस्यों की मौजूदगी में बहुमत से किसी बैठक में पारित किये जाने पर हो सकेगा।

55. नियम तब प्रभाव में आएंगे जब ये संस्था की बैठक में अनुमोदित किया होगा और इस उद्देश्य से विधिवत संयोजित किया गया होगा।

56. वे सभी व्यवस्थाएं जो संस्थाओं के पंजीकरण एक्ट 1860 के 21 अनुच्छेद में उल्लिखित (पंजाब एमेंडमेंट एक्ट) 1975, दिल्ली संयुक्त क्षेत्र में लागू होती हैं, इस संस्था पर भी लागू होंगी।

57. संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुच्छेद 21 के धारा 4 के अनुसार वार्षिक सूचियों का प्रस्तुतीकरण। साल में एक बार शासी निकाय के सदस्यों की सूची संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुच्छेद 21 के धारा 4 की व्यवस्था के अनुसार संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा भरी जाएगी।

58. विधिक कार्रवाइयां संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुच्छेद 21 की धारा 6 के अनुसार होंगी। संस्था का वाद या प्रतिवाद संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुच्छेद 21 के भाग 6 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष/सचिव के नाम से हो सकेगा।

59. संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुच्छेद की धारा 21 और 12ए के अनुसार संशोधन–

संस्था के संविधान में कोई भी संशोधन संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुच्छेद 21 की धारा 12 और 12ए में दी गई व्यवस्था के अनुसार होगा।

60. विघटनः

यदि जरूरी हो तो संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुच्छेद 21 के भाग 13 और 14 में दी गई व्यवस्था के अनुसार संस्था का विघटन किया जा सकता है।

61. आवश्यक प्रमाण पत्रः

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थान के नियम और कानून की यथोचित प्रति है।

हस्ताक्षर
डॉ. ओ.पी. गौतम
महानिदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली।

हस्ताक्षर
डॉ. के. जे. महाले
उप कुलपति
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली

हस्ताक्षर
प्रो. वी. रामलिंगास्वामी
महानिदेशक भारतीय औषध अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली।